न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–321/2026

CNR No.–UPRN01–003527–2026

रूपेन्द्र उर्फ शिवम बनाम उ०प्र० सरकार।

07.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा 3 क अन्तरण प्रार्थना पत्र शपथपत्र 4 क के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या–829/2024, मु०अ०सं०–42/2024, अन्तर्गत धारा 363, 366, 120B भा०द०सं०, थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, कानपुर देहात में लम्बित है जबकि सह–अभियुक्त की पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या–126/2025, मु०अ०सं०–42/2024, धारा 363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा 3(2) 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14 कानपुर देहात में विचाराधीन है। अतः सत्र परीक्षण संख्या–126/2025 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, कानपुर देहात में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–13 कानपुर देहात की आख्यानुसार सत्र वाद संख्या–829/2024, सरकार बनाम रूपेन्द्र उर्फ शिवम, अपराध संख्या–42/2024, धारा 363, 366/120B भा०द०सं० व धारा 16/17 पाक्सो एक्ट, थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात उनके न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर दो अभियोजन साक्षी परीक्षित हो चुके हैं।

विद्वान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14 (बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात की आख्यानुसार सत्र परीक्षण वाद संख्या–126/25, सरकार बनाम सुधीर उर्फ पपिन मु०अ०सं०–42/2024, अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा ¾ पाक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात उनके न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें चार अभियोजन साक्षियों के बयान अंकित हो चुके है। यह भी आख्या दी गयी है कि यदि उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों सत्र परीक्षण एक ही अपराध संख्या एवं एक ही घटना से संबंधित है। अतः दोनों वादों की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। अतएव अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना पत्र 3 क स्वीकार किया जाता है।

सत्र वाद संख्या–829/2024, सरकार बनाम रूपेन्द्र उर्फ शिवम, अपराध संख्या–42/2024, धारा 363, 366/120B भा०द०सं० व धारा 16/17 पाक्सो एक्ट, थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात से वापस लेकर न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14 (बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात में स्थानान्तरित की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को भेजी जाए।

तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.09 16:02:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court